

परिपत्र सं. 31

दिनांक 11-03-2015

फाइल नं ईएमएस/प्राधिकरण परिपत्र/14-15/ ५१९६

विषय: एसडीएफ/सरकार द्वारा निर्मित संपत्तियों के संबंध में अनुरक्षण प्रभार।


यह देखने में आया है कि एमआईडीसी दिनांक 7-अप्रैल, 1999 के पुराने परिपत्र के अनुसार यूनिटों से लिफ्ट अनुरक्षण प्रभार वसूल कर रही है।

पहले जारी किए गए सभी परिपत्रों को अधिकांत करते हुए, यह सूचित किया जाता है कि एसडीएफ/सरकार द्वारा निर्मित संपत्तियों के संबंध में यूनिटों को अलग से कोई अनुरक्षण प्रभार का भुगतान नहीं करना है।

एमआईडीसी को भी यह निदेश दिया जाता है कि वे यूनिटों से एसडीएफ/सरकार द्वारा निर्मित संपत्तियों के संबंध में कोई अनुरक्षण प्रभार वसूल न करे।

यह विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीया,



(श्रीमती एम.जे. कुलकर्णी)

सहायक विकास आयुक्त

संपदा प्रबन्धक

सीपज़-सेज़

सेवा में

1. सीपज़-सेज़ में सभी यूनोंटों
2. सीपज़-सेज़ में सभी बैंकों
3. चेरमेन, सीमा, सीपज़-सेज़
4. प्रेसिडेंट, जेम्स एंड ज्वैलरी एसोसिएशन बीएफ़सी बिल्डिंग, सीपज़-सेज़
5. रिजिनल डरेक्टर, 100% ईओयू तथा सेजों का ईपीसीईएस तथा बीएफ़सी बिल्डिंग, सीपज़-सेज़
6. सीपज़ +++ब्लॉक-1 प्रमिशन सिकोर्टी, सीपज़-सेज़
7. सीपज़ +++ब्लॉक-2 प्रमिशन सिकोर्टी, सीपज़-सेज़
8. सीमाशुल्क विभाग
9. सुरक्षा विभाग
10. एमआईडीसी
11. विकास आयुक्त कार्यालय
12. नोटिस बोर्ड
13. वैबसाइट